



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 109]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 18, 2019/माघ 29, 1940

No. 109]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 18, 2019/MAGHA 29, 1940

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 2019

सा.का.नि. 125(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम 2013 (2013 का 18) की धारा 132 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तों और निबंधन) नियम, 2018 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तों और निबंधन) संशोधन नियम, 2019 है।

2. ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

3. राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तों और निबंधन) नियम, 2018 में नियम 4 के उपनियम (5) में "एक सौ बीस दिनों से अनाधिक अवधि में" शब्दों के स्थान पर "उचित समय अवधि के भीतर" शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. एनएफआरए-05/5/2018-एनएफआरए-एमसीए]

के.वी.आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3 उपखंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 262 (अ), तारीख 21 मार्च, 2018 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th February, 2019

G.S.R. 125(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 132 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules to amend the National Financial Reporting Authority (Manner of Appointment and other Terms and Conditions of Service of Chairperson and Members) Rules, 2018, namely:-

1. (1) These rules may be called the National Financial Reporting Authority (Manner of Appointment and other Terms and Conditions of Service of Chairperson and Members) Amendment Rules, 2019
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the National Financial Reporting Authority (Manner of Appointment and other Terms and Conditions of Service of Chairperson and Members) Rules, 2018, in rule 4, in sub-rule (5), for the words “within a period not exceeding one hundred and twenty days”, the words “within a reasonable period of time” shall be substituted.

[F. No. NFRA-05/5/2018-NFRA-MCA]

K.V.R. MURTY, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R.262 (E), dated the 21st March, 2018.